

पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस

प्रकरण सं० 141/18

अनवान :

1. भूपसिंह पुत्र देवीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बेर तहसील भादरा।
2. जसवीर पुत्र देवीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बेर तहसील भादरा।
3. राजकुमार पुत्र कृष्णलाल पुत्र देवीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बेर तहसील भादरा।

—वादीगण

बनाम

1. देवीलाल पुत्र दलूराम जाति ब्राह्मण निवासी बेर तहसील भादरा।
2. विद्या पुत्री देवीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बेर तहसील भादरा।
3. सुनीता पुत्री देवीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बेर तहसील भादरा।
4. बिमला पुत्री देवीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बेर तहसील भादरा।
5. द्वारका पुत्री देवीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बेर तहसील भादरा।
6. कमलेश पुत्री देवीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बेर तहसील भादरा।
7. कमला पत्नी कृष्णलाल जाति ब्राह्मण निवासी बेर तहसील भादरा।
8. सुमन पुत्री कृष्णलाल जाति ब्राह्मण निवासी बेर तहसील भादरा।
9. एसबीआई बैंक शाखा छानीबड़ी जरिये शाखा प्रबंधक।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक व घोषणात्मक वाद—पत्र
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आज यह वाद मुझ श्री राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकीलवादी श्री राजेश बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादवादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है व घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 5 JSL के खाता सं० 103/94 के मु०न० 163 किला न० 1 ता 25, मु०न० 170 किला न० 1 ता 5, 8 ता 10, कुल 8.349 है० नहरी मय खाला रास्ता में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलजन कर वादीगण 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक का 1/4—1/4 हिस्सा के खातेदारी काश्तकार दर्ज रिकार्ड की जावे। प्रतिवादी सं. 2 ता 8 ने वाद भूमि में अपना हक त्याग कर दिया है अतः हक त्याग किए गए हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी वसूल कर तथा यदि भूमि बैंक के रहन हो तो रहन फक के पश्चात् इसी अनुसार रिकार्ड दरुस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना—अपना रहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25 जून 2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ़ (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)